संख्या-39/2022/2467/77-6-2022-6099/606/2021

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
2. समस्त संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर,2022**

विषय:-उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 एवं क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 तथा उक्त नीति के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुसार आईनॉक्स एयर प्रोडक्टस प्रा0लि0 की जनपद रायबरेली में लगभग रूपये 200.00 करोड़ के निवेश (डीपीआर के अनुसार) से प्रस्तावित मेगा परियोजना को "उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 एंव उक्त नीति के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाओं एवं प्रोत्साहन हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल0ओ0सी0) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया हैं:-

(1) उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के अनुसार इकाई द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश (डीपीआर के अनुसार) रू0 200.00 करोड के सापेक्ष अनुमानित प्रस्तावित पात्र पूंजी निवेश (नीति के प्रस्तर-3.7 के अंतर्गत) रू0 123.31 करोड़ निर्धारित किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गया है जिसके सापेक्ष नीति के अन्तर्गत अनुमन्य 20 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी अनुमन्य होगी।

(2) इकाई के क्रियाशील होने (वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होना) के उपरान्त इकाई द्वारा प्रस्तुत क्लेम के सत्यापन के समय नीति के अन्तर्गत परिभाषित पात्र पूंजी निवेश का वास्तविक निर्धारण करते हुए नीति के अनुसार पूंजीगत सब्सिडी का वितरण किया जाएगा।

(3) प्रस्तावित परियोजना को उ0प्र0 ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के अतिरिक्त राज्य की किसी अन्य नीति के अन्तर्गत कोई प्रोत्साहन लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(4) निवेशक द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क में 75 प्रतिशत की प्राप्त की गयी छूट की धनराशि एल0ओ0सी0 निर्गत होने से पूर्व राजकोष में जमा करा देगें, जिसके उपरान्त उनके द्वारा जमा बैंक गारण्टी उन्हें वापस कर दी जाएगी। उ0प्र0 ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के अन्तर्गत इकाई के क्रियाशील होने (वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होना) पर अनुमन्य स्टाम्प शुल्क की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे।

(5) ऑक्सीजन उत्पादन परियोजना से संबंधित फर्म द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली 1945 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त कराकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए फार्माकॉपियल ऑक्सीजन के निर्माण की अनुज्ञप्ति खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-25/2021/1472/77-6-2021-6099 /291/2021 दिनांक 16.05.2021 द्वारा निर्गत ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 एवं शासनादेश संख्या-26/2021/2040/77-6-2021-6099/291/ 2021 दिनांक 12.07.2021 द्वारा निर्गत नीति के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत जिन मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधाएं एवं रियायतें प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है उनको प्रश्नगत सभी प्रकार की सुविधाएं प्राधिकृत संस्था द्वारा संबंधित शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए वितरित की जाएगी।

भवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-39/2022/2467(1)/77-6-2022-6099/606/2021,तद्दिनांक-

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,उ0प्र0शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री,उ0प्र0शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त/न्याय विभाग,उ0प्र0शासन।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
5. महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0,प्रयागराज।
6. औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों प्रबन्ध निदेशक/ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
7. इनवेस्ट यू0पी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को इन्वेस्ट यू0पी0 की बेवसाइट पर तत्काल अपलोड कराने तथा संबंधित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को प्रति प्रेषित कराने हेतु।
8. नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-4/वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।